JALAUN POLICE

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

02 अभियुक्तों को 06 माह की अवधि के लिये जिलाबदर कराया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन ने 02 अभ्यस्त अपराधी, जिसके विरूद्ध जनपद के थानों में गंभीर धाराओं जैसे चोरी, लूट, बलवा, गुंडा अधि० आदि में अभियोग पंजीकृत हैं को 06 माह की अवधि के लिये जिलाबदर किया/कराया गया है।

जिलाबदर अभियुक्त निष्कासन की अवधि में लिखित रूप से अवगत करायेंगे कि वह किस राज्य/जनपद/थाना/शहर/मुहल्ला/गाँव में निवास करेगें एवं निष्कासन अवधि में अपने साथ अस्त्र, शस्त्र व आग्नेयशास्त्र इत्यादि धारण नही करेगें, यदि जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाते हैं, तो उनके विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित थाना प्रभारी उक्त कार्यवाही से 03 दिवस के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय को अवगत करायेंगे।

विवरण जिलाबदर अभियुक्त –

1. नितिन गुप्ता उर्फ गोलू गुप्ता उर्फ गोलू कंथरिया पुत्र राजकुमार गुप्ता नि0 मुसमरिया थाना चुर्खी हाल पता मु0 गोपालगंज उरई कोतवाली उरई जनपद जालौन। **दिनांक 27.07.2026 से जिलाबदर**
2. ब्रजपाल उर्फ ब्रजराज उर्फ मिन्टू पुत्र अतर सिंह नि0 टडवा थाना चुर्खी जनपद जालौन। **दिनांक 15.07.2026 से जिलाबदर**